न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/16/2022	11-04-2022	18-11-2022

01- हीरालाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ग्राम शीलगांव खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान) हाल निवासी झाबुआ, बावल (हरियाणा)

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 25.02.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 23/2022

उपस्थितः—

01—श्री औमानन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट

02— श्री दीपक मीना — वकील रेस्पोडेन्टस

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 25.02.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को सम्वत 2078 ग्राम शीलगांव खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 30.28 है0 में से 0.51 है0 व आराजी खसरा न0 173 रकबा 30.86 है0 में से 0.75 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी/गैर मुमकिन टीला में सरसो की फसल काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व तीन माह की सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी/बैदखली का निर्णय पारित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम शीलगांव खुर्द की किस्म गैर मुमकिन नदी/ गैर मुमकिन टीला आराजी खसरा नंम्बर 82 व आराजी खसरा न0 173 पर सरसो की फसल कास्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.02.2022 को रिपोर्ट पेश की जिस पर तहत अदालत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किये अपीलान्ट को जारी किये गये नोटिस की इत्तला अपीलान्ट को नही हुयी। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट की तामील हुये व बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है, तहत अदालत ने बिना जॉच किये निर्णय पारित किया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये फार्म पर पारित किया गया है, उक्त निर्णय वास्तव में निर्णय की तारीफ में नही आता है। तहत अदालत

ADDITIONAL COLLECTOR अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.02.2022 मिन अपीलान्ट की गैरहाजरी में पारित किया गया है, जिसकी अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी किसी तरह की नही थी, पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 30.03.2022 को मुकामी पुलिस थाने से फोन आने पर हुयी। जिस पर अपीलान्ट ने दिनाक 30.03.2022 को तहत अदालत में नकल का आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकल दिनाक 30.03.2022 को तैयार होकर दिनाक 30.03.2022 को सायंकाल प्राप्त हुयी। तथा उसके पश्चात दिनाक 31.03. 2022 से अपील किये जाने हेतु कानूनी सलाह मशवरा किया गया तथा आवश्यक इन्तजाम कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 30.03.2022 से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है, इस लिए दिनाक 25.02.2022 से दिनाक 30.03.2022 तक का समय मियाद में मुजरा देकर पेशकर्दा अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून अधिनियम मय हलफनामा पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 25.02.2022 को निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान नकारते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा सम्वत 2078 में ग्राम शीलगांव खुर्द तहसील मुण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 30.28 है0 में से 0.51 है0 व आराजी खसरा न0 173 रकबा 30.86 है0 में से 0.75 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी/गैर मुमकिन टीला की भूमि में पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त करने पर अतिक्रमी के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी/बैदखली कायम किये जाने का विधिवत निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस का मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2022 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 04.04. 2022 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.02.2022 की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 30.03.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा नम्बर 82 व 173 ग्राम शीलगांव खुर्द किस्म गैर मुमकिन नदी/ गैर मुमकिन टीला की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.02.2022 को रिपोर्ट पेश की जिस पर तहत अदालत ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किये अपीलान्ट को जारी किये गये नोटिस की इत्तला अपीलान्ट को नही हुयी। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट की तामील हुये व बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत ने बिना जॉच किये निर्णय पारित किया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये फार्म पर पारित किया गया है, उक्त निर्णय वास्तव में निर्णय की तारीफ में नही आता है। तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.02.2022 मिन अपीलान्ट की गैरहाजरी में पारित किया गया है, जिसकी अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी किसी तरह की नही थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर दिनाक 03.02.2022 अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किया जाकर पत्रावली दिनाक 14.02.2022 को नियत की गयी। अतिक्रमी को जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट के भाई के पुत्र को तामील करायी गयी। वावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। प्रकरण में तहत अदालत से वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गयी मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनाक 19.04.2022 के अनुसार वर्तमान में अतिक्रमी का अतिक्रमण नही होना अंकित किया गया है। साथ ही वकील अपीलान्ट द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है, कि वर्तमान में मिन अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है, अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया गया है। जिसकी पुष्टि कराली जावे। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 25.02.2022 केवल सजा की हद तक ही निररत किया जाता है, शेष निर्णय यथावतः रहेगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18—11—2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)